

भाग-II
 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
 प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-FP/UP/Rail/40280/2019

7— परियोजना/स्कीम का स्थान (I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र (II) ज़िला (III) वन प्रभाग (IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) (V) वन की कानूनी स्थिति (VI) हरियाली का घनत्व (VII) प्रजाति—वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए) । सिचाईं/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिणाम और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाये। (VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी (X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें।) (XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हॉ/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। (XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। 8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	हरदोई जनपद के अन्तर्गत रोजा-सीतापुर मार्ग किमी 28.00 से 34.00 के मध्य रेलवे लोइन के चौड़ीकरण से प्रभावित 6.1133 हेक्टर संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति। उत्तर प्रदेश। हरदोई। साठवा वन एवं वन्यजीव प्रभाग, हरदोई 6.1133 है। संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व रेलवे विभाग 0.3 औसत 35 बाधक वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूचना संलग्न है। भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है। शून्य नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। हॉ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। नहीं
---	--

10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा—

- (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्ड का आकर।
- (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)

11—जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12—विभाग/जिला प्रोफाइल

- (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
- (II) जिले का वन क्षेत्र
- (III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर
- (V) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर

13—प्रस्ताव को रवीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

तिथि:

स्थान—हरदोई

क्षतिपूरक वनीकरण कार्य बिलग्राम राजि के अन्तर्गत नेवादागम्भी वन ब्लॉक मे रिक्त ऊसर भूमि मे रोपण कराया जाना प्रस्तावित है।

वन क्षेत्र से दूरी लगभग 50 कि०मी०, भूखण्ड आकार समतल, भूमि ऊसर क्षेत्रफल 12.2266 हे०।

संलग्न है।

वनखण्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपयुक्तता के अनुसार, कार्यदायी संस्था— सा० वा० वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई। अवधि— 2019–20 से 2022–23 तक लागत रु०—2948782.00

रु०—2948782.00

संलग्न है।

संलग्न है।

5989 वर्ग कि०मी०

119.62 वर्ग कि०मी०

स्वीकृत मामलों की संख्या—40 क्षे०—34.6080 हे०।

1.0 हे०

शून्य

388.047 हे०

3283.544 हे०।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव, को रवीकार करने की संस्तुति की जाती है।


 (राकेश वर्मा)
 प्रभागीय निदेशक,
 सा० वा० वन एंव वन्य जीव प्रभाग,
 हरदोई। 

प्रभागीय निदेशक
 सा० वा० वन एंव वन्य जीव प्रभाग
